(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रामेश्वरी देवी बनाम भालाराम वगैरा

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2–ए सीपीसी प्रकरण संख्याः–128 / 2025 GCMS:- 2025/326

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस दिनांक 18.03.2026 को सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायलय में एक वाद एवं वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र रामेश्वरी देवी बनाम भालाराम प्रस्तुत किया गया था। मा0न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2025 को जैरवाद भूमि वाके चक 2 जीडीएसएम के खाता संख्या 96 / 151 के पत्थर नं. 78 / 64 (13) के किला नं. 1 ता 6 / 1.518 हैक्टर कमाण्ड / अ0क0, 15–16 / 0.506 कमाण्ड, 23 / 1 / 0.202 हैक्टर कमाण्ड, 24 / 2 में 0.202 हैक्टर कमाण्ड, 25 / 1 में 0.202 हैक्टर कमाण्ड कुल 2.630 हैक्टर कमाण्ड / अ0क0 खातेदारी भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखलदांजी नही करने तथा रहन, बैय ना करें तथा मौका व रिकार्ड यथावत् रखने का स्थगन जारी किया गया था। उक्त स्थगन का अंकन भी राजस्व रिकार्ड में दिनांक 20.05.2025 किया जा चुका था। जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गई। जिस पर दिनांक 21.05.2025 को सुबह 11.30 बजे आरोपीगण जैरस्थगन रकबा में हाथों में लाठियों व गण्डाशी लेकर परिवादीया के खेत में काम करने वाले ठेकेदार देवीलाल के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। अप्रार्थीगण को स्थगन भी दिखाया। किन्तु उन्होने उक्त आदेशों की कोई परवाह नही की प्रार्थीया की फसल को नष्ट कर दिया तथा मारपीट भी की। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना राजियासर में दर्ज करवाई जा चुकी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावे। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा लगाये गये समस्त आरोप शुरू ही झुठे है। जैरप्रकरण रकबा पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा ही रहा है। प्रार्थीया द्वारा मा0न्यायालय क समक्ष उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र के आधार पर स्थगन प्राप्त किया गया था। उक्त स्थगन की आड़ में प्रार्थीया ने अन्य लोगों के साथ अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में घुसने की चेष्टा की। अप्रार्थीगण के शोर मचाने पर प्रार्थीया व उसके साथ आये लोग वहां से भाग गये। दिनांक 13.05.2025 को जैरप्रकरण भूमि पर जब प्रार्थीया का कब्जा ही नही था तो स्थगन की अवहेलना करने का सवाल ही पैदा नही होता है। मा0न्यायालय से झुठे व लगत तथ्य प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया है। प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का दिनांक 17.06.2025 को निर्णय कर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। उक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थीया स्वयं का कब्जा साबित करने में असफल रही है। कब्जा साबित नही होने पर भी उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसा तथ्य भी पत्रावली में मौजुद नही है एवं ना ही दौराने बहस वकील प्रार्थीया द्वारा ऐसा [illegible] प्रस्तुत किया गया है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र भी साबित [illegible] निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार [illegible] निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:12 IST
Reason: SelfAttested